न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 04 / 2016

उनवान प्रकरण

मुन्ना पुत्र नत्थीलाल उम्र करीव 37 वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम कुरैंधा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .....प्रार्थी

बनाम

1–बसंती पत्नी भीकमसिंह जाति त्यागी निवासी ग्राम कुरैंधा तहसील सैपऊ (धौलपुर)
2–मोहनसिंह ।
3–भीकमसिंह । पिसरान शंकर जाति त्यागी
4–अंगूरी । निवासीगण ग्राम कुरैंधा तहसील सैपऊ
5–गुलकंदी ।
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैपऊ जिला धौलपुर .....अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट
अप्रार्थी सं01लगा0 5 की ओर से – श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी सं06 की ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 07.09.2018**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि ग्राम कुरैंधा स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 257 रकवा 14 विस्वा गत खसरा नम्बर 251 रकवा 17 विस्वा से बना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय उक्त आराजी सरकारी भूमि थी। उक्त आराजी कभी किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं हुई तथा ना ही उसका कभी कोई नियमन ही किसी व्यक्ति को हुआ। अप्रार्थीगण 2 लगा0 5 के पिता शंकर ने बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर अपना नाम दर्ज करा लिया जिसका कोई नामान्तकरण भी नहीं हुआ केवल राजस्व अभिलेखों में सीधे ही गलत रूप से उसका

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

नाम अंकित कर दिया गया। जिसका कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त इन्द्रांज विधि विरूद्व होने के कारण शून्य है। तदुपरांत नामान्तकरण कमांक 763 द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी कमांक–1 के नाम दर्ज करदी गई। उक्त सभी कार्यवाही शून्य व प्रभावहीन है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण कमांक 2लगा05 के पिता शंकर के पक्ष में हुए इन्द्राजांत व नामान्तकरण कमांक 763 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुरैंधा, नकल जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2072 ग्राम कुरैंधा, नकल जमाबन्दी सम्बत 2010 से 2013 ग्राम कुरैंधा तहसील सैपऊ पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगा05 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या–6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–1 लगा0 5 ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि उत्तरदाता बसन्ती खसरा नम्बर 257 रकवा 14 विस्वा की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है जिसके सम्बध में उत्तरदाता के भाई बनवारीलाल ने उत्तरदातागण के विरूद्व न्यायालय एस.डी.ओ. सैपऊ के समक्ष प्रकरण उनवानी बनवारीलाल बनाम बसन्ती बगैरा प्रस्तुत किया था जिसमें इस रैफरेन्स का प्रार्थी मुन्ना प्रतिवादी संख्या–6 के रूप में पक्षकार प्रकरण था तथा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188,183 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया था। उक्त उनवानी वाद में उत्तरदाता ने अपनी ओर से जबाव दावा व कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया था। उक्त उनवानी वाद में राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प कुरैंधा में उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर निस्तारण दिनांक 9.6.2016 को किया गया था तथा इस रैफरेंस के प्रार्थी मुन्नालाल ने उत्तरदाता के खातेदारी अधिकारों को स्वीकार करते हुए राजीनामा किया था तथा उभयपक्ष सीमाकंन व पैमाइश क पश्चात अपनी –अपनी खातेदारी पर काबिज होने पर सहमत हुए थे तथा एक दूसरे की खातेदारी की भूमि से अवैध कब्जा छोडने पर सहमत हुए थे। प्रार्थी मुन्ना व बनवारी ने उत्तरदाता की खातेदारी ख0न0 257 के क्षेत्रफल को आज भी अपनी खातेदारी के ख0न0 256 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तथा आज भी कब्जा नहीं छोडा है तथा लोक अदालत में हुए उक्त राजीनामा तारीखी 9.6.2016 को नजरअंदाज करते हुए उत्तरदाता पर नाजायज दबाव बनाने के उद्वेश्य में यह रैफरेंस प्रस्तुत किया है। वादपत्र उनवानी बनवारीलाल बनाम बसन्ती बगैरा में लोक अदालत में हुए निर्णय दिनांक 9.6.2016 में सभी पक्षकारों के अधिकार निर्णित हो चुके है तथा लोक अदालत के उक्त निर्णय के विरूद्व यह रैफरेन्स पोषणीय नहीं है तथा यह रैफरेन्स विधि द्वारा वर्जित है। प्राइवेट व्यक्ति को रैफरेंस प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित आराजी उत्तरदाता बसन्ती की खातेदारी में अंकित है

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

तथा खातेदारी में अंकित भूमि के सम्बध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार को कानूनन आक्षेपित नहीं किया जा सकता है। खातेदारी अधिकारों को कानूनन रैफरेन्स कार्यवाही में आक्षेपित व निरस्त नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान में कृषि भूमियों के सम्बध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्राबधान लागू है तथा सन 1955 अर्थात सम्बत 2012 में जिन कृषि भूमियों पर जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर काबिज थे उनको खातेदारी अधिकार कानूनन के प्रभाव से स्वतः ही प्रदान कर दिये गये थे तथा ख0न0 हाल 257 के गत खसरा नम्बर 251 एवं अन्य कृषि भूमि पर सम्बत 2012 यानी की सन 1955 जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था शंकर पुत्र मुरली राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर बतौर नौतोड काबिज थे जिसका अंकन जमाबंदी सम्बत 2014 में 2017 के खाता संख्या 379 तथा समय सम्बत 2010 से 2013 में स्पष्ट रूप में हो रहा है तथा शंकर पुत्र मुरली को सम्बत 2012 में राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर नौतोड काबिज होने की बजह से जरिये इन्तकाल संख्या 286 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिनका अंकन जमाबंदी सम्बत 2018 से 2021 खाता संख्या 240 ग्राम कुरैधा में स्पष्ट रूप से हो रहा है तथा वर्तमान में उत्तरदाता वसन्ती ने उक्त खसरा नम्बर 257 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2004 विधिवत रूप से क्रय किया है तथा उत्तरदाता खसरा नम्बर 257 की सदभावी केता एवं स्वाभी है जिसके खातेदारी अधिकारों को रैफरेन्स के माध्यम से आक्षेपित एवं निरस्त नहीं कराया जा सकता है।

खसरा नम्बर 257 के सम्बध में शंकर सिंह की खातेदारी के लिये नामान्तकरण संख्या 286 तथा उत्तरदाता के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 763 स्वीकृत हुआ था तथा दोनो नामान्तकरण आदेश प्रथक–प्रथक है तथा एक ही रैफरेन्स के माध्यम से प्रथक–प्रथक आदेशों को आक्षेपित एवं निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। खसरा नम्बर 257 पर वर्तमान भू–राजस्व रिकार्ड में उत्तरदाता संख्या–1 के खातेदारी अधिकार एवं इन्द्रांजात है तथा उत्तरदाता से पूर्व शंकर पुत्र मुरली के सम्बत 2012 यानी सन 1955 से खातेदारी अधिकार व इन्द्राजात थे जिनके विरूद्व दिनांक 14.3.2016 में यह रैफरेन्स करीव 61–62 वर्ष पश्चात असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया है विलम्ब के आधार पर भी प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। रैफरेन्स कार्यवाही को व्यक्तिगत विद्वेष के लिये तथा किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा वर्तमान में इस रैफरेन्स में कोई भी लोक नीति एवं सार्वजनिक हित भी नहीं है। प्रार्थी उत्तरदाता को इस रैफरेन्स के माध्यम से परेशान करना चाहता है इसलिये रैफरेन्स काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में नकल प्रा0पत्र आदेशिक दिनांक 11.6.2015 से 9.6.2016 उनवानी बनवारी बनाम बसन्ती वगैरा न्याया0 एस0डी0ओ0

अति0 जिला कलक्टर
धौ. जपुर

Scanned by CamScanner

धौलपुर, नकल प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट उनवानी बनवारी बनाम बसन्ती वगैरा न्याया0 एस0डी0ओ0 धौलपुर, नकल जववा प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रा0प्र0 212 आर.टी. एक्ट, नकल दावा आदेशिका दिनांक 11.6.2015 से 9.6.2016 तक उनवारी बनवारी बनाम बसन्ती वगैरा न्याया0 एस0डी0ओ0 धौलपुर, नकल पता रजिस्टर्ड उनवानी बनवारी बनाम बसन्ती वगैरा न्याया0 एस0डी0ओ0 धौलपुर, नकल दावा उनवानी बनवारी बनाम बसन्ती वगैरा न्याया0 एस0डी0ओ0 धौलपुर, नकल जबाव दावा उनवानी बनवारी बनाम बसन्ती वगैरा न्याया0 एस0डी0ओ0 धौलपुर, नकल जमाबंदी खाता संख्या–50 सम्बत 2072 से 2075 ग्राम कुरैंधा, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल सैटलमेन्ट खाता संख्या–77 ग्राम कुरैंधा, नकल जमाबंदी खाता संख्या 116,140,39 सम्बत 2018 से 2021, नकल खसरा गिरदावरी खाता संख्या 251 सम्बत 2011 से 2014 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2019 से 2022, नकल जमाबंदी खाता संख्या 371 सम्बत 2014 से 2017, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2018 से 2021 ग्राम कुरैंधा तहसील सैपऊ पेश की है।

पत्रावली वहस हेतु नियत की गई। वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 257 रकवा 14 विस्वा गत खसरा नम्बर 251 रकवा 17 विस्वा से बना है। उक्त आराजी कभी किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं हुई तथा ना ही उसका कभी कोई नियमन ही किसी व्यक्ति को हुआ। अप्रार्थीगण 2 लगा0 5 के पूर्व पुरूष शंकर ने बिना किसी आधार के उक्त आराजी पर अपना नाम दर्ज करा लिया। उक्त भूमि सरकारी भूमि रही है जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। उक्त इन्द्रांज विधि विरूद्व होने के कारण शून्य है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय एस.डी.ओ. सैपऊ के समक्ष प्रकरण उनवानी बनवारीलाल बनाम बसन्ती बगैरा प्रस्तुत किया था जिसमें इस रैफरेन्स का प्रार्थी मुन्ना प्रतिवादी संख्या–6 के रूप में पक्षकार प्रकरण था। उक्त उनवानी वाद में उत्तरदाता ने जबाव दावा व कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया था। उक्त उनवानी वाद में राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प कुरैंधा में उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर निस्तारण दिनांक 9.6.2016 को किया गया तथा इस रैफरेंस के प्रार्थी मुन्नालाल ने उत्तरदाता के खातेदारी अधिकारों को स्वीकार करते हुए राजीनामा किया था तथा उभयपक्ष सीमाकंन व पैमाइश क पश्चात अपनी –अपनी खातेदारी पर काबिज होने पर सहमत हुए थे तथा एक दूसरे की खातेदारी की भूमि से अवैध कब्जा छोडने पर सहमत हुए थे। लोक अदालत में हुए उक्त राजीनामा तारीखी 9.6.2016 को नजरअंदाज करते हुए उत्तरदाता पर नाजायज दबाव बनाने के उद्वेश्य में यह रैफरेंस

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया है। लोक अदालत के उक्त निर्णय के विरूद्व यह रैफरेन्स पोषणीय नहीं है तथा यह रैफरेन्स विधि द्वारा वर्जित है। प्राइवेट व्यक्ति को रैफरेंस प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित आराजी उत्तरदाता बसन्ती की खातेदारी में अंकित है तथा खातेदारी में अंकित भूमि के सम्बध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार को कानूनन आक्षेपित नहीं किया जा सकता है। खातेदारी अधिकारों को कानूनन रैफरेन्स कार्यवाही में आक्षेपित व निरस्त नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में कृषि भूमियों के सम्बध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्राबधान लागू है तथा सन 1955 अर्थात सम्बत 2012 में जिन कृषि भूमियों पर जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर काबिज थे उनको खातेदारी अधिकार कानूनन के प्रभाव से स्वतः ही प्रदान कर दिये गये थे तथा ख0न0 हाल 257 के गत खसरा नम्बर 251 एवं अन्य कृषि भूमि पर सम्बत 2012 यानी की सन 1955 जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था शंकर पुत्र मुरली राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर बतौर नौतोड काबिज थे जिसका अंकन जमाबंदी सम्बत 2014 में 2017 के खाता संख्या 379 तथा समय सम्बत 2010 से 2013 में स्पष्ट रूप में हो रहा है तथा शंकर पुत्र मुरली को सम्बत 2012 में राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर नौतोड काबिज होने की बजह से जरिये इन्तकाल संख्या 286 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिनका अंकन जमाबंदी सम्बत 2018 से 2021 खाता संख्या 240 ग्राम कुरैधा में स्पष्ट रूप से हो रहा है तथा वर्तमान में उत्तरदाता वसन्ती ने उक्त खसरा नम्बर 257 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2004 विधिवत रूप से क्रय किया है तथा उत्तरदाता खसरा नम्बर 257 की सदभावी क्रेता एवं स्वाभी है जिसके खातेदारी अधिकारों को रैफरेन्स के माध्यम से आक्षेपित एवं निरस्त नहीं कराया जा सकता है। खसरा नम्बर 257 के सम्बध में शंकर सिंह की खातेदारी के लिये नामान्तकरण संख्या 286 तथा उत्तरदाता के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 763 स्वीकृत हुआ था तथा दोनो नामान्तकरण आदेश प्रथक–प्रथक है तथा एक ही रैफरेन्स के माध्यम से प्रथक–प्रथक आदेशों को आक्षेपित एवं निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। खसरा नम्बर 257 पर वर्तमान भू–राजस्व रिकार्ड में उत्तरदाता संख्या–1 के खातेदारी अधिकार एवं इन्द्रांजात है तथा उत्तरदाता से पूर्व शंकर पुत्र मुरली के सम्बत 2012 यानी सन 1955 से खातेदारी अधिकार व इन्द्राजात थे जिनके विरूद्व दिनांक 14.3.2016 में यह रैफरेन्स करीव 61–62 वर्ष पश्चात असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया है विलम्ब के आधार पर भी प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011(1)पेज 412, आरआरटी 2010(1)पेज 562, आरआरटी 2012 पेज 1060, आरआरटी 2008(1)पेज 707, आरआरटी2018(1)पेज415,आरआरडी1986पेज337,आरआरटी2013(1)पेज526,आरआरटी 2011,2012पेज559,आरआरटी2013(1)पेज468,आरआरटी2015पेज1130,आरआरडी1996पेज 565 की न्यायिक नजीरें पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि वर्तमान खसरा नम्बर 257 रकवा 14 विस्वा गत खसरा नम्बर 251 रकवा 17 विस्वा से बना है। उक्त आराजी कभी किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं हुई तथा ना ही उसका कभी कोई नियमन ही किसी व्यक्ति को हुआ। अप्रार्थीगण 2 लगा0 5 के पूर्व पुरूष शंकर ने बिना किसी आधार के उक्त आराजी पर अपना नाम दर्ज करा लिया। उक्त भूमि सरकारी भूमि रही है जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। उक्त इन्द्रांज विधि विरूद्व होने के कारण शून्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड ख0न0 हाल 257 के गत खसरा नम्बर 251 एवं अन्य कृषि भूमि पर सम्बत 2012 यानी की सन 1955 जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था शंकर पुत्र मुरली राजस्व रिकार्ड बतौर नौतोड काबिज थे जिसका अंकन जमाबंदी सम्बत 2014 में खाता संख्या 379 तथा समय सम्बत 2010 से 2013 में स्पष्ट रूप में हो रहा है तथा शंकर पुत्र मुरली को सम्बत 2012 में राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर नौतोड काबिज होने की बजह से जरिये नामान्तकरण संख्या 286 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसका अंकन जमाबंदी सम्बत 2018 से 2021 खाता संख्या 240 ग्राम कुरैधा में स्पष्ट रूप से हो रहा है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–1 वसन्ती ने उक्त खसरा नम्बर 257 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2004 क्रय किया है तथा खसरा नम्बर 257 की सदभावी क्रेता एवं स्वामी है जिसके खातेदारी अधिकारों को रैफरेन्स के माध्यम से आक्षेपित एवं निरस्त नहीं कराया जा सकता।

उक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 257 के सम्बध में न्यायालय एस0डी0एम सैपऊ में एक वाद उनवानी बनवारीलाल बनाम बसन्ती वगैरा के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसमें बसन्ती वगैरा के माध्यम से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। उक्त उनवानी वाद में इस प्रकरण का प्रार्थी मुन्ना प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में स्थापित है। उक्त उनवानी वाद जिसमें उभयपक्ष पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्व लोक अदालत कुरैंधा में दिनांक 9.6.2016 को उक्त वाद का निर्णय किया गया। निर्णय के तहत उभयपक्ष सीमाकंन करवाकर अपने अपने खातेदारी के भूमि पर काबिज रहने रहने पर सहमत हुये। प्रार्थी ने नामान्तकरण संख्या 286 तथा निर्णय तारीखी 9.6.2016 उनवानी बनवारीलाल बनाम बसन्ती को आक्षेपित नहीं है तथा कानूनन आदेश को अपास्त किये बिना रेवेन्यू प्रविष्टियों को अपास्त नहीं किया जा सकता। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों से हम पूर्णतः सहमत है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खरिज किये जाने योग्य है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स सारहीन होने के कारण रैफरेंस प्रकरण समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner